19

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर

समक्ष – एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 4–2/1014/1993 – विरूद्व – आदेश दिनांक – 27–9–1993– पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना – प्रकरण नम्बर 46/1992–93 अपील

1– मेहताव सिंह पुत्र छोटेलाल
2– ग्यान सिंह 3– रणवीर
4– बृजराज 5– धीर सिंह
चारों पुत्रगण जगन्नाथ सिंह ठाकुर
सभी ग्राम बदन का खेड़ा मौजा
शिकहरा तहसील पोरसा जिला मुरैना ---आवेदकगण

विरूद्व

1– श्रीमती छोटी पत्नि स्व. गोधन सिंह
2– जोगेन्द्र सिंह पुत्र गोधन सिंह
ग्राम बदन का खेड़ा मौजा
शिकहरा तहसील पोरसा जिला मुरैना ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री के0डी0दीक्षित)
(अनावेदकगण के विरूद्व एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 2–11 –2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण नम्बर 46/1992–93 अपील में पारित आदेश दिनांक 27–9–1993 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारांश यह है कि ग्राम सिकहरा की भूमि सर्वे नंबर 706 रकबा 2 बीघा 13 बिसवा तथा 718 रकबा 3 बीघा 6 बिसवा (जो आगे वादग्रस्त भूमि लिखी गई है) के भूमिस्वामी के कालम नंबर 3 में गोधन सिंह का नाम मौरूषी कृषक के रूप में दर्ज चला आ रहा था । आवेदकगण ने तहसीलदार पोरसा के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 11, 116 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र देकर बताया कि अनावेदकगण ने वादग्रस्त भूमि का समर्पण पत्र लिखा है इसलिये खसरा संशोधन करके गोधन सिंह के नाम मौरूषी कृषक के रूप में चली आ रही प्रविष्टि को विलोपित कर दिया जावे। तहसीलदार पोरसा ने प्रकरण कमांक 7/1990-91 अ-6-अ पंजीबद्ध किया तथा जांच व सुनवाई कर आदेश दिनांक 21-1-1992 पारित करके गोधन सिंह के नाम मौरूषी कृषक के रूप में चली आ रही प्रविष्टि को हटाने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी पोरसा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी पोरसा द्वारा प्रकरण नंबर 68/1991-92 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-9-1992 से तहसीलदार पोरसा का आदेश दिनांक 21-1-1992 निरस्त कर दिया तथा अपील स्वीकार कर ली। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष दूसरी अपील प्रस्तुत हुई। अपर आयुक्त ने प्रकरण नम्बर 46/1992-93 अपील में पारित आदेश दिनांक 27-9-1993 से अपील अपील निरस्त कर दी। इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी पेश की गई है।

3/ निगरानी मेमो में दर्शाए गए तथ्यों एंव अधीनस्थ न्यायालयों के

आदेशों में विवेचित किये गये तथ्यों पर से आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने । अनावेदकगण सूचना होने के वाद उपस्थित नहीं हैं इसलिये एकपक्षीय किया गया हैं।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्कों पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख में आये तथ्यों पर से देखा गया कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि ग्राम सिकहरा की सर्वे नंबर 706 रकबा 2 वीघा 13 विसवा तथा 718 रकबा 3 वीघा 6 विसवा भूमि पर तहसील न्यायालय में संहिता की धारा 115, 116 के अंतर्गत खसरा सॅशोधन हेतु दिये गये प्रार्थना पत्र के 27 वर्ष पूर्व से गोधन सिंह का नाम मौरूषी कृषक के रूप में दर्ज चला आ रहा है जबकि आवेदकगण ने तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 115, 116 के तहत खसरा सॅशोधन की अर्जी लगाई है। यदि इस अर्जी को धारा 115 के तहत माना जावे, तब इस धारा के अधीन तहसीलदार स्वविवेक से अपलेखन संबंधी अथवा त्रृटिपूर्ण अभिलेख प्रविष्टि की जानकारी होने पर कार्यवाही करते हैं किसी पक्षकार के आवेदन पर इस धारा के अधीन कार्यवाही नहीं होती है। स्पष्ट है कि तहसीलदार ने इस धारा के अधीन प्रकरण विचारित नहीं किया है। जहॉ तक धारा 116 के अधीन कार्यवाही का प्रश्न है ? इस धारा के अधीन केवल उन त्रृटिपूर्ण प्रविष्टियों को दुरूस्त किया जा सकता है जो एक वर्ष के भीतर होने पर पीड़ित पक्षकार व्दारा आवेदन दिया जावे। स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत आवेदन संहिता की धारा 116 के अधीन

निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण नम्बर 46/1992-93 अपील में पारित आदेश दिनांक 27-9-1993 विधि-अनुरूप होने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर